बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2008

सं0 सं0 14/एम 12–05/98–228(14)/ बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) अधिनियम 2006 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है.–

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 –

1–संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ –(1)यह नियमावली बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2008 कही जायगी।

(2) यह पहली अक्टुबर, 2006 के प्रभाव से प्रवृत समझी जायगी।

2–परिभाषाऐं:–जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्व न हो इस नियमावली में :–

(क) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद के सदस्य।

(ख) "पूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य।

(ग) "विशेषज्ञ चिकित्सक" से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेगें।

(घ) सरकारी अस्पताल " से अभिप्रेत है सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा सम्पोषित अस्पताल।

(च) "मान्यता प्राप्त अस्पताल" से अभिप्रेत है वैसे निजी अस्पताल जो बिहार सरकार द्वारा उपचार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हो । इसमे सी0 जी0 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल भी सम्मिलित है।

(छ) "सभा" और "परिषद" से अभिप्रेत है, क्रमशः" विहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद"।

3– हकदारः– राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों एवं उनपर आश्रित उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के श्रेणी–I पदाधिकारियों के समरूप चिकित्सा उपचार एवं प्रतिपूर्ति के हकदार होगें । पूर्व सदस्य एवं उनके पति/पत्नी भी इस नियमावली के अधीन उपचार तथा प्रतिपूर्ति की सुविधा के हकदार होगें।"

4– राज्य से बाहर उपचार :– (1)किसी गम्भीर बीमारी की दशा में विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर सरकारी अस्पतालों में अथवा राज्य सरकार/सी0जी0एच0 एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी उपचार प्राप्त किया जा सकता है । विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर राज्य के बाहर उपचार के लिए अनुमति देने हेतु सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

(2) हृदयघात, ब्रेन हैमरेज, और गंभीर सडक दूघर्टना की दशा में सदस्यं/पूर्व सदस्य/ राज्य से बाहर सरकारी या सी0 जी0 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के लिए बिना पूर्वानुमति के प्रस्थान कर सकते है, यदि अत्यंत आपाती स्थिति हो, किंतु यथा संभव शीघ्र आवश्यक सूचना सचिव, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद, को भेज दी जायगी।

5– राज्य के भीतर उपचारः–राज्य के भीतर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सचिव, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद, उपचार पर आगत भुगतान सीधे संबंधित सदस्यों/ पूर्व सदस्यों को नियम--7 के अनुसार अनुमान्य करेगे।

6– **अग्रिम एवं प्रतिपूर्ति :–(1)** यदि सरकारी अस्पतालों या मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार कराया गया हो तो अस्पताल के प्राक्कलन के आधार पर अस्सी प्रतिशत अग्रिम मंजूरी की जायेगी। ऐसे अस्पतालों में उपचार के लिए मंजूर अग्रिम छः माह के भीतर सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा समायोजित करवाना होगा । अग्रिम की मंजूरी के पश्चात एक माह के भीतर यदि उपचार आरंभ नही किया जाता है तो ऐसे अग्रिम की पूरी राशि सदस्यो/पूर्व सदस्यों को वापस करनी होगी अन्यथा यह सदस्यों के वेतन /पूर्व सदस्य के पेंशन से समायोजित की जाएगी ।

(2) यदि प्रतिपूर्ति की राशि मंजूर अग्रिम से कम हो तो अंतर की राशि संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को एक माह के भीतर समायोजन के लिए एक किस्त में जमा करनी होगी।

(3) पूर्व सदस्य को अग्रिम लेते समय खर्च नही किये गये अग्रिम को विहित अवधि के भीतर एक किस्त में वापस करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।

7– **प्रतिपूर्ति अधिकार**:– 2.00 लाख (दो लाख) रूपये तक की मंजूरी देने हेतु वित्त विभाग द्वारा नियुक्त/प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से सचिव विधान सभा / विधान परिषद सक्षम होगें। यदि राशि 2 लाख (दो लाख) रूपये से अधिक हो तो विपत्र की जॉच एवं सबंधित अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से अध्यक्ष बिहार विधान सभा/ सभापति बिहार विधान परिषद द्वारा प्रतिपूर्ति मंजूर की जाएगी ।

8– **वहिर्वासी चिकित्सा**:–वर्हिवासी उपचार की सुविधा वही रहेगी जो उन रोगो की दशा मे जिसके लिए बर्हिवासी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है । वैसे रोगो की चिकित्सा के मामले में सदस्य/पूर्व सदस्य स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये विपत्र अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सचिव बिहार विधान सभा/सचिव बिहार विधान परिषद को देगें। सचिव बिहार विधान सभा/विधान परिषद, सदस्य/ पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेगें।

9-- **परिचारी**:-- रोगी के साथ एक परिचारी की स्वीकृति दी जायगी वह उसी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा।

10–**निरसन एवं व्यावृत्ति**:–इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से बिहार विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य हेतु प्रवृत चिकित्सीय उपचार नियमावली 2000 निरस्त समझी जायेगी । ऐसे निरसन के होते हुए निरसीत नियमावली के प्रावधानो के अधीन किये गये कुछ भी का या की गयी किसी भी कार्रवाई का पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बदलाव या किसी भी रीति से प्रभावित नही किया जायगा/की जायेगी मानो उक्त नियमावली निरसित नही की गयी हो।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधरण गजट के अगले अंक में सर्व साधरण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/12/08

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं0 228(14) दिनांक 25/12/08

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियॉ स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

25/12/08

सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं0 228(14) दिनांक 25/12/08

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/08

ज्ञाप सं0 : 228(14) दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ राज्य पाल सचिवालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव बिहार पटना,/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री स्वास्थ्य चि0 शि0 प0 क0 एवं देशी चिकित्सा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- 550 (पाच सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसें बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः-250(दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः- सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/स्टेट लेप्रोसी आफीसर, स्वास्थ्य भवन, पटना/निदेश टी0 बी0 डी0 सी0 पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार, पटना/सहायक निदेशक फाइलेरिया को सूचनार्थ।

25/2/08

सरकार के अपर आयुक्त